122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2284-दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-2-2001 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 85/2000-01 निगरानी

1- सहदेव सिंह 2- बाबू सिंह
पुत्रगण गयाराम यादव
दोनों ग्राम देहगॉव तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

महिला बानो पत्नि स्व. सरनाम सिंह
ग्राम देहगॉव तहसील गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 85/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-2-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम देहगॉव तहसील गोहद स्थित कुल किता 20 कुल रकबा 5.78 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि के उभय पक्ष रिकार्डेड भूमिस्वामी हैं। अनावेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सह-स्वामित्व की भूमि के बटवारे की मांग की। अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील

गोहद ने प्रकरण कमांक 1/97-98 अ-27 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 12-6-2000 पारित करके बादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने प्रकरण कमांक 24/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2001 से अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद का आदेश दिनांक 12-6-2000 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 85/2000-2001 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त व्दारा पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 29-9-01 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आदेश दिनांक 7-4-01 निरस्त कर निगरानी स्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक के तर्क सुने । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि मूल मामला संयुक्त हिन्दू परिवार की ग्राम देहगॉव स्थित कुल किता 20 कुल रकबा 5.78 हैक्टर भूमि के बटवारे का है तथा महिला बानो पत्नि स्व. सरनाम सिंह वर्तमान अपने हिस्से की भूमि का बटवारा चाहती है जिसके कारण उसने अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहस्वामित्व की भूमि के बटवारे की मांग की है जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त देहगॉव तहसील गोहद ने प्रकरण कमांक 1/97-98 अ-27 पंजीबद्व करके तथा उभय पक्ष की सुनवाई कर आदेश दिनांक 12-6-2000 से बटवारा किया है। अति0तहसीलदार के आदेश दिनॉक 12-6-2000 को अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने प्रकरण कमांक 24/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2001 से इसलिये निरस्त किया है कि अति0तहसीलदार ने आवेदकगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद है कि अतिरिक्त तहसीलदार ने बटवारा प्रकरण

पंजीबद्ध करके आवेदकगण को विधिवत् सूचना पत्र भेजे हैं तथा सूचना पत्र का निर्वहन आवेदकगण पर हुआ है और वह सूचना उपरांत भी जानबूझकर सा-उद्धेश्य उपस्थित नहीं हुए हैं। जैसाकि अनावेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि महिला निःशक्त होकर वृद्धावस्था में है एंव आवेदकगण चाहते हैं कि वृद्ध महिला का निधन हो एंव उसके हिस्से की भूमि भी उन्हें प्राप्त हो जावे - इस तथ्य पर विचार करने से अनावेदक सहानुभूति की पात्र है क्योंकि एक वार आवेदकगण व्दारा नोटिस न लिये जाने पर पुनः चस्पीदगी से नोटिस का निर्वहन हुआ है जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि अति0 तहसीलदार व्दारा आवेदकगण को सूचना निर्वहन में लापरवाही बरती गई है, अपितु आवेदकगण तहसीलदार के समक्ष सा-उद्धेश्य जानबूझकर अनुपस्थित होना पाये गये हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 29-9-01 में इस वावत् निकाला गया निष्कर्ष उचित होना पाया गया है। जहॉ तक असमान स्वत्व का बटवारे में भूमि अंतरित कर दिये जाने की आपत्ति का प्रश्न है ? स्वत्व सम्बन्धी विवाद के निराकरण की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं हैं एंव अति0तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 12-6-2000 से किया गया बटवारा असमान होना नहीं पाया गया है। निगरानी प्रकरण में अन्य कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताया गया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 29-9-01 में अथवा अति0तहसीलदार के आदेश दिनॉक 12-6-2000 में फेर-बदल पर विचार किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा निगरानी कमांक 85/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 29-9-01 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर